न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार , आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 03/2003

1. हेतराम पुत्र रामचन्द्र उम्र 70 साल जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिहंनगर।

–वादी

बनाम

1. श्रीमती झमकु (मृतका) पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. हंसराज आयु 65 साल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. मनीराम (मृतक)

3/1 सोमादेवी विधवा मनीराम जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3/2 शक्ति देवी पुत्री मनीराम पत्नी सतपाल जाति बिश्नोई निवासी 5 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3/3 कैलाश देवी पुत्री मनीराम पत्नी जसपाल जाति बिश्नोई निवासी 5 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

4. रामकुमार उर्फ मनोज कुमार पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. भगवान उर्फ जितेन्द्र पुत्र श्री हंसराज जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–183–53 राज.काश्त.अधि.

उपस्थिति :–

1.श्री मथुराम दास किन्नरा वकील वादी
2.श्री एस.के. गुप्ता वकील प्रतिवादीगण

–:निर्णय:– दिनांक:– 20.8.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–183–53 राज.काश्त.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के दादा प्रतिवादी सं. 1के ससूर सांवलराम पुत्र हुणताराम बिश्नोई निवासी 78 आरबी ने अन्य खातेदारो के साथ मु.नं. 48 में 13 बीघा का 1/2 नहरी भूमि मु.नं. 81 में 3 बीघा, 93 में 24.10 बीघा, मु.नं. 100 में 10 बीघा, 16 बिस्वा गैर मुमकिन खाला की भूमि कुल 83 बीघा नहरी भूमि धारण करते थे। इस भूमि में सांवलराम को 44 बीघा हिस्सा नहरी आई थी। सांवलराम की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उनकी भूमि दो पुत्रो के ओद हो गई। प्रत्येक को 22 बीघा पुश्तैनी हिस्से में आई। जिसका भाईयों ने बंटवारा कर लिया। भू–प्रबन्ध विभाग को इन मुरब्बाजात के नंबर बदल दिये। मुरब्बा नं.' 48–63, मु.नं. 46–65, मु.नं. 81–99, मु.नं. 84–96, 93–108, 98–116, 100–117 हो गई। इस कारण रामचन्द्र के हिस्सा में मु.नं. 100 पुराना नया 117 की 5 बीघा मु.नं. 93 पुराना, नया 108 के 10.15 बीघा मु.नं. पुराना 81, नया 99 में 3 बीघा, मु.नं. 48 पुराना, नया 63 में 3.05 बीघा, कुल 22 बीघा नहरी भूमि आई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक संयुक्त परिवार धारण करते है। सबने मिलकर श्रम कर व उपरोक्त भूमि की पैदावार से 3.215 है0 भूमि और अर्जित कर ली। जो प्रतिवादी सं. 1के पति रामचन्द्र परिवार के कर्ता व मुखिया के नाम रखा गया। जो कि मु.नं. 99 में 16 बीघा, मु.नं. 21 में 7.10 बीघा है। इस प्रकार संयुक्त परिवार के पास वादी के दादा से मिली 21.15 बीघा व नई बनाई गई 23.10 बीघा कुल 45.10 बीघा भूमि हो गई। जो जद्दी जायदाद कोपारसनरी की परिभाषा में आती है। जिसमें प्रत्येक वादी व प्रत्येक प्रतिवादी 1 ता 3 का बराबर भाग है। सांवलराम द्वारा छोडी गई सम्पति में वादी का भाग स्वीकार किया हुआ है। इसलिए वादी को मु.नं. 100 के 5 बीघा व मु.नं. 93 में 2.05 बीघा काश्त के लिए दे रखे थे। वादग्रस्त सम्पति जद्दी जायदाद

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निश्चित है। जो 11.06 बीघा विभाजित करवाकर कब्जा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी इस भाग को हस्तान्तरण करने पर उतारू है। मुझ वादी द्वारा पूर्व में एक वाद 91/94 दायर किया था। जो मुझ वादी के हक में डिक्री हुआ था। जिसकी अपील कुछ प्रतिवादीगण ने डिक्री को निरस्त करवा दिया। रामचन्द्र प्रतिवादी के दौराने वाद देहान्त हो गया। माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह अधिकृत कर दिया कि मैं नया वाद इसी भूमि में संबंध में ला सकू। अतः घोषित किया जावे कि 78 आरबी की उपरोक्त 45.10 बीघा नहरी पैतृक एवं जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी का 1/4 भाग है। जिसे बंटवारा करवाकर अलग पाने का अधिकारी है। इसी अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। लगान आदि भी अलग कायम किये जाने के आदेश फरमाये जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व शास्वत व्यादेश प्रसारित किया जावे कि वाद ग्रस्त भूमि के मु.नं. 100 के 5 बीघा व 93 के 3 बीघा को वादी को बेदखल नही किया जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से श्री संतोष कुमार गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। राज्य पक्ष की ओर राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की दौराने वाद मृत्यु हो गई। जिसके वारिसान को 3/1 से 3/3 पक्षकार बनाया गया। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र हेतराम पेश किया गया। जिसके बयान करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की पालना में 500 रूपये की कोस्ट पर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पुनः अवसर दिया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में हंसराज का शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। वादी हेतराम द्वारा बयान में जमाबन्दी चक 78 आरबी सम्वत् 2058–61 खाता सं. 115 प्रदर्श–1, जमाबन्दी खाता सं. 97 प्रदर्श–2, एवं सम्वत् 2020–23 जमाबन्दी प्रदर्श–3, 4 करवाये गये। ब्यान प्रतिवादी में हंसराज के बयान करवाये गये। इकरारनामा भूमि विक्रय दिनांक 13.07.98 प्रदर्श–ए1 जिसकी नकल ए1ए है। जो पत्रावली में उपलब्ध है। हलफनामा दिनांक 13.07.98 प्रदर्श–ए2, जिसकी नकल ए2ए करवाई गई। इकरारनामा भूमि विक्रय दिनांक 06.12.97 प्रदर्श–ए3, जिसकी नकल ए3ए है। हलफनामा दिनांक 06.12.97 प्रदर्श–ए4, जिसकी नकल ए4ए है। प्रदर्श–ए 3 व 4 पर ए से बी तक सारे हेतराम के है। नकलो पर भी ए से बी हस्ताक्षर सारे हेतराम के है एवं बैयनामा दिनांक 10.07.98 प्रदर्श–ए5 जिसकी नकल ए5ए है। इकरारनामा भूमि विक्रय दिनांक 07.02.90 प्रदर्श–ए6 है। जिसकी नकल ए6ए है। जिस पर ए से बी हस्ताक्षर हेतराम व सी से डी हनुमान प्रसाद, ई से एफ ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है। बैयनामा दिनांक 01.02.94 प्रदर्श–ए7 है। जिसकी प्रदर्श–ए7ए है। जिसके एक्स स्थान पर रामचन्द्र का अंगूठा निशानी है। ए से बी सुरजाराम व सी से डी ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है। वसीयतनामा रामचन्द्र प्रदर्श–ए8 है। जिसकी नकल ए8ए है। जिसके एक्स स्थान पर रामचन्द्र का अंगूठा निशानी है। ए से बी सुरजाराम के हस्ताक्षर व वाई स्थान पर चन्दसिंह का अंगुठा निशान है। बैयनामा दिनांक 22.07.98 प्रदर्श–ए9 है। जिसकी नकल ए9ए है। जिस पर ए से बी हेतराम के हस्ताक्षर है। सी से डी हंसराज व ई से एफ हनुमान प्रसाद के हस्ताक्षर है। निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आयाकि वादी विवादित भूमि में अपने अधिकारो की घोषणा करवाकर बंटवारा कराने का हकदार है और उसका कितना हिस्सा है ?

   – वादी

2. आयाकि वादी 30–35 वर्षो से अलग हो गया और संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य नही रहा है ?

   –प्रतिवादी

3. आयाकि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अर्जित मु.नं. 99 के 13 बीघा और मु.नं. 21 के 7 बीघा 10 बिस्वा संयुक्त परिवार की सम्पति है और वादी का उसमें कोई हिस्सा है ?

   –प्रतिवादी

4. आयाकि वादी के पिता द्वारा 5 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में बैयनामा कराने पर कुल राशि वादी द्वारा प्राप्त हुई ?

   –प्रतिवादी

5. आयाकि वादी आदतन शराबी है जो प्रतिवादीगण का बिना कारण के तंग करता है और उसे इस कारण वादी दायरी का कोई अधिकार नही है ?

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

6. आयाकि वाद का पूर्व में निर्णय अन्तिम हो चुका है और इस कारण यह वाद चलने योग्य नही है ?

– प्रतिवादी

7. अनुतोष ?

–प्रतिवादी

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित 45.10 बीघा में से मेरा 1/3 हिस्सा बनता है। हिस्सानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावें। वकील प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि पैतृक सम्पति 22 बीघा भूमि थी। जिसमें से 7.10 बीघा भूमि वादी को 1/3 हिस्सा में आती है। वादी ने अपने हिस्सा की भूमि का बेचान कर दिया है। अब वह कुछ भी पाने का अधिकारी नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जावे।

अतः तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है:–

1. आयाकि वादी विवादित भूमि में अपने अधिकारो की घोषणा करवाकर बंटवारा कराने का हकदार है और उसका कितना हिस्सा है ?

– वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी चक 78 आरबी के खाता सं. 115 सम्वत् 2058–61 में 7.071 है0 नहरी/बारानी मयखाला भूमि रामचन्द्र पुत्र सांवलराम साकिन देह खातेदार दर्ज है। जो प्रदर्श–1 है। इसी चक की जमाबन्दी खाता सं. 57/52 के मु.नं. 63–108–117 कुल 5.566 है0 नहरी भूमि मुश्तरका खाता में मनीराम,हंसराम पि0 रामचन्द्र 1.708 है0, रामकुमार पुत्र मनीराम . 759 है0, भगवानाराम पुत्र हंसराज .759, झमकू पत्नी रामचन्द्र .759 है0, रामचन्द्र पुत्र सांवलराम .759 कौम बिश्नोई, चिंचुराम पुत्र सांवलराम उर्फ लालु .882 है0 कौम लुहार साकिन देह खातेदार दर्ज है एवं इसी चक जमाबन्दी सम्वत् 2020–23 के खाता सं. 21 में मुश्तरका खाता में 70. हिस्सा जिसमें धनपत पुत्र पोलु $28^{1/2}$ रामचन्द्र पुत्र सांवलराम 3 हिस्सा, सांवलराम पुत्र हुणताराम $37^{1/2}$ हिस्सा सोहनलाल पुत्र गणेशाराम 1 हिस्सा खातेदार दर्ज है। जो जमाबन्दी प्रदर्श–3 है। पूर्व निर्णय दिनांक 28.11.2000 तनकी नं. 1 में दिये गये अनुसार वादी के पिता रामचन्द्र को अपने पिता यानि वादी के दादा से 21.15 भूमि प्राप्त हुई और इसकी आय से वादी के पिता ने मु.नं. 99 में 16 बीघा में व मु.नं. 21 में 7.10 बीघा भूमि और क्रय की है। जो जद्दी जायदात है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में 21.15 बीघा भूमि को जद्दी जायदाद होना स्वीकार किया है। लेकिन 23.10 बीघा भूमि उनके पिता द्वारा स्वयं पैदाकर्ता बतायी गई है। प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया है कि वादी द्वारा 3.10 बीघा भूमि क्रय की है जो उसकी स्वयं पैदाकर्ता है। वादी तकरीबन 25–30 वर्ष से अलग रह रहा है। अतः 23.10 बीघा भूमि जद्दी जायदाद हो इस बाबत कोई ठोस सबूत पेश नही किया है। जिससे यह साबित हो सके कि उक्त 23.10 बीघा भूमि जद्दी जायदाद हो। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02

2. आयाकि वादी 30–35 वर्षो से अलग हो गया और संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य नही रहा है ?

–प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादपत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1ता3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार एवं उनके कथनानुसार चक 78 आरबी के मुरबा नंबर 107–108–99 व 93 की 21.15 बीघा भूमि उनकी जद्दी जायदाद है। जैसा की तनकी संख्या 01 में विवेचन किया जा चुका है कि मुरबा नंबर 99 के 16–00 बीघा व मु0न0 21 के 7.10 बीघा कुल 23.10 बीघा भूमि रामचन्द्र की स्वयं पैदाकर्ता है तथा 21.15 बीघा भूमि प्रतिवादी रामचन्द्र को उसके पिता सांवलराम से प्राप्त हुई थी। इस भूमि में रामचन्द्र (वादी के पिता) के सभी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब.हि.ब. पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा स्वयं पैदा कर्ता 23.10 बीघा भूमि में वादी का कोई हिस्सा नही दिया जा सकता है। वह अपने पिता रामचन्द्र एवं रामचन्द्र को अपने पिता से आई भूमि 21.15 बीघा में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि वादी ने अपने बयानों मे यह कथन किया है कि वह 25–30 वर्ष से अलग रह रहा है। उसका राशन कार्ड भी

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

अलग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य नही माना जा सकता है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आयाकि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अर्जित मु.नं. 99 के 13 बीघा और मु.नं. 21 के 7 बीघा 10 बिस्वा संयुक्त परिवार की सम्पति है और वादी का उसमें कोई हिस्सा है ?

—प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसके पिता ने उसे मु.नं. 100 में 5 बीघा व 93 में 2.05 बीघा भूमि दे रखी है। वादी का कथन है कि उसके पिता ने इस आराजी में 5 बीघा उसकी बिना सहमति से प्रतिवादी सं. 2 व 3 बेचान कर दी। जिसकी बैयनामा प्रदर्श—ए7 है। इकरारनामा वादी द्वारा प्रतिवादी हंसराज के पक्ष में किया है जो प्रदर्श—ए6ए है। जिसका वादी के हितों में कोई असर नही है। वादी के दादा से उसके पिता को 21.15 बीघा भूमि प्राप्त हुई है। जिसमें उसका 1/4 हिस्सा बनता है। जो दिलाया जावे। इस तथ्य को प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में माना है कि उनके द्वारा मु.नं. 100 में 5 बीघा व 93 में 2.05 बीघा भूमि बांट कर दे रखी है। जो जद्दी जायदाद थी। मु.नं. 99 के 13 बीघा व 21 के 7.10 बीघा हमारे पिता स्वयं ने खरीद की है। उक्त भूमि जद्दी जायदाद की आय से खरीद होना वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य में कहा है। जबकि इस बाबत कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत किया है। जिससे यह सिद्ध हो की उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद की भूमि की आय से खरीद की हो। अतः इस भूमि में वादी कोई हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व किया जाता है।

4. आयाकि वादी के पिता द्वारा 5 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में बैयनामा कराने पर कुल राशि वादी द्वारा प्राप्त हुई ?

—प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा जरिये ईकरारनामा प्रदर्श—ए6ए के अनुसार चक 78 आरबी के मु.नं. 100 के 5 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 2 हंसराज पुत्र रामचन्द्र को 65000/—रूपये में बेचान की है। साई पेटे 50000/—रूपये प्राप्त किये और 15000/— रूपये वरवक्त रजिस्ट्री के वक्त प्राप्त करना अंकित किया है। इकरारनामा में ए से बी वादी के हस्ताक्षर है। वादी का कथन है कि भूमि का उसके द्वारा बेचान नही किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी की सहमति से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1के नाम होने के कारण प्रतिवादी सं. 2 व 3 को बेचान कर दी। वादी का कहना है कि उसके द्वारा प्रतिवादी सं. 2 हंसराज को 5 बीघा भूमि बेचान कर इकरारनामा किया था। लेकिन उसने इकरारनामा की राशि 4—5 माह बाद वापिस लौटा दी। उसके द्वारा कोई बैयनामा नही किया गया है। ना ही उसके द्वारा उसके पिता को वादग्रस्त आराजी 5 बीघा भूमि का बैयनामा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को किये जाने का अनुरोध किया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा ए9ए दिनांक 14.07.98 के अनुसार चक 78 आरबी के मु.नं. 117 पं.नं. 210/274 के 1.467 है0 नहरी/बारानी 170000/—रूपये में मनोज कुमार पुत्र मनीराम, जितेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला को बेचान किया है। जिसका प्रतिफल प्राप्त किया है। बैयनामा पर ए से बी वादी के हस्ताक्षर है एवं बैयनामा प्रदर्श—ए5ए दिनांक 14.07.98 में चक 78 आरबी के मु.नं. 30—98—109—116 कुल 5.894 है0 नहरी/बारानी में 220 हिस्सा यानि 2.783 है0 नहरी में से अपना 1/3 हिस्सा .928 है0 नहरी भूमि 140000/—रूपये मनोज कुमार पुत्र मनीराम, जितेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला को बेचान कर दी। जो कि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पुत्रो को बेचान किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा रकबा का बेचान किया जा चुका है। उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व किया जाता है।

5. आयाकि वादी आदतन शराबी है जो प्रतिवादीगण का बिना कारण के तंग करता है और उसे इस कारण वादी दायरी का कोई अधिकार नही है ?

— प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नही किया है। जिससे यह साबित हो कि वादी आदतन शराबी

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

है, और प्रतिवादीगण को तंग करता है। वादी अपना हिस्सा घोषित करवाने हेतु उक्त धारा में वाद लेकर आया है। वाद को साबित करने में वादी सफल रहता तो घोषण की जा सकती थी। लेकिन वाद पत्र की तनकी सं. 1 ता 4 को सिद्ध करने में वादी असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व किया जाता है।

6. आयाकि वाद का पूर्व में निर्णय अन्तिम हो चुका है और इस कारण यह वाद चलने योग्य नही है ?

—प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वाद पत्र में कायम की गई तनकी सं. 1 ता 5 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है। अतः उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 20.8.19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner